

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

दावा 16/2018

निर्णय

दिनांक 04.03.2021

मदनलाल बनाम भैरू व अन्य

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष तथा पक्षकारान् स्वयं भी अनुपस्थित। वादीगण मय अधिवक्तागण को शाम 5:30 बजे तक बार-बार आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता गत निरन्तर तारीख पेशियों से अनुपस्थित है। आज भी अनुपस्थित है। साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण अब वाद के प्रति ईच्छुक नहीं है जिससे अपेक्षित कार्यवाही भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी व साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

